प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / KMC / 42 / 2017—18 / 9544-75 दिनांक 13 / 11 / 2017

विषय—प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 को कंगारू मदर केयर (KMC) विषय पर एक दिवसीय अभीमुखीकरण कराये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देशा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्ष 2017—18 की राज्य कार्ययोजना हेतु भारत सरकार द्वारा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कंगारू मदर केयर गतिविधि के संचालन हेतु प्रसव केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 को एक दिवसीय अभीमुखीकरण (**प्रति जनपद एक बैच प्रति बैच 30 प्रतिभागी**) जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अवगत कराना है कि वर्ष 2017—18 में प्रदेश के समस्त जनपदों में कंगारू मदर केयर गतिविधि के संचालन हेतु प्रसव केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 **को एक दिवसीय अभीमुखीकरण** (**प्रति जनपद एक बैच प्रति बैच 30 प्रतिभागी**) जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में आयोजित कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कंगारू मदर केयर गतिविधि के एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु दिशा निर्देश—

01— जनपद स्तरीय एक दिवसीय अभीमुखीकरण / प्रशिक्षण स्थल का चयन—

- कंगारू मदर केयर गतिविधि के **एक दिवसीय अभीमुखीकरण** ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जायेगा।
- ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में एक दिवसीय अभीमुखीकरण आयोजित करने के लिये ऐसी जगह की व्यवस्था की जाये जहाँ बिजली एवं प्रोजेक्टर आदि की समुचित व्यवस्था हो।
- एक दिवसीय अभीमुखीकरण / प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 30 प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।

02— एक दिवसीय अभीमुखीकरण / प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चयन —

- प्रति बैच के लिये जनपद में पूर्व में प्रशिक्षित 02 प्रशिक्षकों जिसमें 01 बालरोग विशेषज्ञ एवं 01 स्टाफ नर्स द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार से कुल 02 प्रशिक्षकों द्वारा एक सत्र को संचालन किया जायेगा।
- **एक दिवसीय अभीमुखीकरण** मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी—आर0सी0एच0 / नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के सहयोग से पूर्ण कराया जायेगा।

03— एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना—

- प्रतिभागियों को **एक दिवसीय अभीमुखीकरण** हेतु फोल्डर, पेन, पेन्सिल, रबर, कटर, पैड, प्रमाण पत्र, अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी पत्र—प्रपत्र आदि की व्यवस्था कन्टिजेन्सी मद से समय से कर ली जाये।
- प्रशिक्षण से पूर्व **संलग्न** तालिका के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाये।

04— एक दिवसीय अभीमुखीकरण प्रतिभागियों का चयन—

- प्रतिभागियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। जनपद में 24 घन्टे प्रसव सेवा वाले जिला महिला चिकित्सालय / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / चयनित उपकेन्द्र के पूर्व में प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित स्टाफ नर्स एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0) की सूची तैयार कर ली जाये। **अन्य उपकेन्द्र जहॉ डिलवरी नहीं हो रही हैं उन ए0एन0एम0 को इस प्रशिक्षण में न बुलाया जाये।**

- यदि किसी कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रतिभागी नहीं आये हों तो जिला महिला चिकित्सालय से प्रतिभागियों को बुलाया जाये।

05– ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका के दायित्व –

एक दिवसीय अभीमुखीकरण ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जाना है, अतः सभी व्यवस्था को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/ प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व तैयारी की जायेगी। जिसमें बैठने, खाने पीने, तथा गुणवत्ता हेतु सभी आवश्यक लॉजिस्टिक एवं अन्य की व्यवस्था पूर्ण की जानी है।

06– नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के दायित्व –

कंगारू मदर केयर विषय के एक दिवसीय अभीमुखीकरण/प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु सूचना पूर्व में ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका को उपलब्ध करा दें। पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण से पूर्व आवंटित धनराशि मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका ज़िला महिला चिकित्सालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर अवमुक्त करा दें, जिससे कि अभीमुखीकरण/प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण बैचों मे आने वाले **प्रतिभागियों को समय से सूचीबद्ध कर लें।** प्रतिभागियों को निर्देशित कर दें कि चूँकि उक्त प्रशिक्षण केवल एक दिन का है अतः सभी प्रतिभागी प्रातः 9.30 से सांय 5.30 तक अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थित में उन्हें वापस कर दें।

07– वित्तीय दिशा निर्देश

- प्रशिक्षण के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय की होगी तथा आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को समय से स्थानान्तरित कर दी जाये, जिससे प्रशिक्षण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों का भुगतान तालिका के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को नाश्ता, दो समय की चाय, दोपहर का भोजन, स्वच्छ पेय जल, की समुचित व्यवस्था की जानी है जिसके लिये प्रति प्रतिभागी एक दिन के हिसाब से धनराशि दी जा रही है।

08– वित्त पोषण –

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदित की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- A.9.5.5.2. पर कंगारू मदर केयर (KMC) विषय पर प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफनर्स/ए0एन0एम0 के (**प्रति जनपद एक बैच प्रति बैच 30 प्रतिभागी**) एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु **रू0 23000.00 प्रति बैच प्रति जनपद** के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु मानक (on the basis of Revised RCH training financial norm)

S. N.	Particulars	Unit Cost	Quantity		Total budget
			No.Of Units	No.of Days	
	One day orientation of Staff Nurses/ANM on KMC				
1	Honorarium for State Resource Persons Pediatrician/Medical Officer of SNCU (Rs. 1000 X 1days)	1000	1	1	1000
2	Honorarium for Resource Persons Para Medical Staff of SNCU (Rs. 500 X 1days)	500	1	1	500
3	Food/ Refreshments for participants (Lunch, Morning and evening Tea and Snacks) Rs. 250 X 30	250	30	1	7500
4	Food/ Refreshments for facilitators (Rs. 250 X 2 X 1)	250	2	1	500
5	Training kit-(Plastic folder, KMC trg module, pad, pen etc.)	150	30	1	4500
6	Institutional Overheads	3000	1	1	3000
7	TA to participants (as per actual)	200	30	1	6000
	Total Fund (Amount in Rs.)				**23000**

कंगारू मदर केयर (KMC) विषय पर प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफनर्स/ए0एन0एम0 का एक दिवसीय अभीमुखीकरण कराये जाने हेतु जनपदवार धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

One day KMC Training fund			
Sr.No.	Name of District	Fund for One day training of Staff Nurses/ANM on KMC	Total Funds Released to DHS
FMR Code--A.9.5.5.2.f			
1	Agra	23000	23000.00
2	Aligarh	23000	23000.00
3	Allahabad	23000	23000.00
4	Ambedkar Nagar	23000	23000.00
5	Amethi	23000	23000.00
6	Amroha (JP Nagar)	23000	23000.00
7	Auraiya	23000	23000.00
8	Azamgarh	23000	23000.00
9	Baghpat	23000	23000.00
10	Bahraich	23000	23000.00
11	Ballia	23000	23000.00
12	Balrampur	23000	23000.00
13	Banda	23000	23000.00
14	Barabanki	23000	23000.00
15	Bareilly	23000	23000.00
16	Basti	23000	23000.00
17	Bijnor	23000	23000.00
18	Budaun	23000	23000.00
19	Bulandshahar	23000	23000.00
20	Chandauli	23000	23000.00
21	Chitrakoot	23000	23000.00
22	Deoria	23000	23000.00
23	Etah	23000	23000.00
24	Etawah	23000	23000.00
25	Faizabad	23000	23000.00
26	Farukkhabad	23000	23000.00
27	Fatehpur	23000	23000.00
28	Firozabad	23000	23000.00
29	Gautam Buddha Nagar	23000	23000.00
30	Ghaziabad	23000	23000.00
31	Ghazipur	23000	23000.00
32	Gonda	23000	23000.00
33	Gorakhpur	23000	23000.00
34	Hamirpur	23000	23000.00
35	Hapur	23000	23000.00
36	Hardoi	23000	23000.00
37	Hathras	23000	23000.00
38	Jalaun	23000	23000.00
39	Jaunpur	23000	23000.00
40	Jhansi	23000	23000.00
41	Kannauj	23000	23000.00
42	Kanpur Dehat	23000	23000.00
43	Kanpur Nagar	23000	23000.00
44	Kasganj	23000	23000.00
45	Kaushambi	23000	23000.00
46	Kushi Nagar (Padrauna)	23000	23000.00
47	Lakhimpur Kheri	23000	23000.00
48	Lalitpur	23000	23000.00
49	Lucknow	23000	23000.00
50	Maharajganj	23000	23000.00
51	Mahoba	23000	23000.00
52	Mainpuri	23000	23000.00
53	Mathura	23000	23000.00
54	Mau	23000	23000.00
55	Meerut	23000	23000.00

One day KMC Training fund			
Sr.No.	Name of District	Fund for One day training of Staff Nurses/ANM on KMC	Total Funds Released to DHS
FMR Code--A.9.5.5.2.f			
56	Mirzapur	23000	23000.00
57	Moradabad	23000	23000.00
58	Muzaffar Nagar	23000	23000.00
59	Pilibhit	23000	23000.00
60	Pratapgarh	23000	23000.00
61	Raebareli	23000	23000.00
62	Rampur	23000	23000.00
63	Saharanpur	23000	23000.00
64	Sambhal	23000	23000.00
65	Sant Kabir Nagar	23000	23000.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	23000	23000.00
67	Shahjahanpur	23000	23000.00
68	Shamali	23000	23000.00
69	Shravasti	23000	23000.00
70	Siddharth Nagar	23000	23000.00
71	Sitapur	23000	23000.00
72	Sonbhadra	23000	23000.00
73	Sultanpur	23000	23000.00
74	Unnao	23000	23000.00
75	Varanasi	23000	23000.00
Total fund		**1725000**	**1725000.00**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

10– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- कंगारू मदर केयर (KMC) के एक दिवसीय अभीमुखीकरण का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण द्वारा किया जाये।
- कंगारू मदर केयर के एक दिवसीय अभीमुखीकरण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केन्द्र का अनुश्रवण किया जाये तथा यूनिसेफ उ0प्र0/उ0प्र0 टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (UP-TSU)/सेव द चिल्ड्रेन/माइक्रोन्यूट्रीएन्ट इनीशिएटिव (न्यूट्रीशन इंटरनेशनल) एवं कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाये।

अभीमुखीकरण की भौतिक एवं वित्तिय रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/KMC/42/2017–18/ दिनांक /11/2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश
4. **समस्त जिलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0,** उत्तर प्रदेश।
6. **समस्त प्रमुख/मुख्य** चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/सुयक्त चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर एक दिवसीय अभीमुखीकरण/प्रशिक्षण पूर्ण करायें।
7. **समस्त मण्डलीय/जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. **राज्य कार्यकम प्रतिनिधि**, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल–एन0आई0 एवं सेव द चिल्ड्रेन, लखनऊ उ0प्र0।
9. **टीम लीडर, उ0प्र0** टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (UP-TSU) 505, रतन स्क्वायर टावर लखनऊ उ0प्र0।
10. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ**, बी–3/258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ0प्र0।
11. **निदेशक, कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब**, 26/11 वजीर हसन रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / KMC / 42 / 2017–18 / दिनांक 13 / ~~11~~ 12 / 2017

विषय–प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 को कंगारू मदर केयर (KMC) विषय पर एक दिवसीय अभीमुखीकरण कराये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देशा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 की राज्य कार्ययोजना हेतु भारत सरकार द्वारा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कंगारू मदर केयर गतिविधि के संचालन हेतु प्रसव केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 को एक दिवसीय अभीमुखीकरण (**प्रति जनपद एक बैच प्रति बैच 30 प्रतिभागी**) जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 में प्रदेश के समस्त जनपदों में कंगारू मदर केयर गतिविधि के संचालन हेतु प्रसव केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 **को एक दिवसीय अभीमुखीकरण** (**प्रति जनपद एक बैच प्रति बैच 30 प्रतिभागी**) जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में आयोजित कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कंगारू मदर केयर गतिविधि के एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु दिशा निर्देश–

01– जनपद स्तरीय एक दिवसीय अभीमुखीकरण / प्रशिक्षण स्थल का चयन–

- कंगारू मदर केयर गतिविधि के **एक दिवसीय अभीमुखीकरण** ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जायेगा।
- ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में एक दिवसीय अभीमुखीकरण आयोजित करने के लिये ऐसी जगह की व्यवस्था की जाये जहाँ बिजली एवं प्रोजेक्टर आदि की समुचित व्यवस्था हो।
- एक दिवसीय अभीमुखीकरण / प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 30 प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।

02– एक दिवसीय अभीमुखीकरण / प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चयन –

- प्रति बैच के लिये जनपद में पूर्व में प्रशिक्षित 02 प्रशिक्षकों जिसमें 01 बालरोग विशेषज्ञ एवं 01 स्टाफ नर्स द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार से कुल 02 प्रशिक्षकों द्वारा एक सत्र को संचालन किया जायेगा।
- **एक दिवसीय अभीमुखीकरण** मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला / संयुक्त चिकित्सालय द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0 / नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के सहयोग से पूर्ण कराया जायेगा।

03– एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना–

- प्रतिभागियों को **एक दिवसीय अभीमुखीकरण** हेतु फोल्डर, पेन, पेन्सिल, रबर, कटर, पैड, प्रमाण पत्र, अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी पत्र–प्रपत्र आदि की व्यवस्था कन्टिजेन्सी मद से समय से कर ली जाये।
- प्रशिक्षण से पूर्व **संलग्न** तालिका के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाये।

04– एक दिवसीय अभीमुखीकरण प्रतिभागियों का चयन–

- प्रतिभागियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। जनपद में 24 घन्टे प्रसव सेवा वाले जिला महिला चिकित्सालय / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / चयनित उपकेन्द्र के पूर्व में प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित स्टाफ नर्स एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0) की सूची तैयार कर ली जाये। **अन्य उपकेन्द्र जहॉ डिलवरी नहीं हो रही हैं उन ए0एन0एम0 को इस प्रशिक्षण में न बुलाया जाये।**

* यदि किसी कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रतिभागी नहीं आये हों तो जिला महिला चिकित्सालय से प्रतिभागियों को बुलाया जाये।

05— ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका के दायित्व —

एक दिवसीय अभीमुखीकरण ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित किया जाना है, अतः सभी व्यवस्था को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी—आर0सी0एच0/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/ प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व तैयारी की जायेगी। जिसमें बैठने, खाने पीने, तथा गुणवत्ता हेतु सभी आवश्यक लॉजिस्टिक एवं अन्य की व्यवस्था पूर्ण की जानी है।

06— नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के दायित्व —

कंगारू मदर केयर विषय के एक दिवसीय अभीमुखीकरण/प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु सूचना पूर्व में ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका को उपलब्ध करा दें। पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण से पूर्व आवंटित धनराशि मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका ज़िला महिला चिकित्सालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर अवमुक्त करा दें, जिससे कि अभीमुखीकरण/प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण बैचों मे आने वाले **प्रतिभागियों को समय से सूचीबद्ध कर लें।** प्रतिभागियों को निर्देशित कर दें कि चूँकि उक्त प्रशिक्षण केवल एक दिन का है अतः सभी प्रतिभागी प्रातः 9.30 से सांय 5.30 तक अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थित में उन्हें वापस कर दें।

07— वित्तीय दिशा निर्देश

* प्रशिक्षण के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय की होगी तथा आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को समय से स्थानान्तरित कर दी जाये, जिससे प्रशिक्षण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
* प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों का भुगतान तालिका के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
* प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को नाश्ता, दो समय की चाय, दोपहर का भोजन, स्वच्छ पेय जल, की समुचित व्यवस्था की जानी है जिसके लिये प्रति प्रतिभागी एक दिन के हिसाब से धनराशि दी जा रही है।

08— वित्त पोषण —

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017—18 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदित की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017—18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- A.9.5.5.2.F पर कंगारू मदर केयर (KMC) विषय पर प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफनर्स/ए0एन0एम0 के (**प्रति जनपद एक बैच प्रति बैच 30 प्रतिभागी**) एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु **रू0 23000.00 प्रति बैच प्रति जनपद** के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

एक दिवसीय अभीमुखीकरण हेतु मानक (on the basis of Revised RCH training financial norm)

S. N.	Particulars	Unit Cost	Quantity		Total budget
			No.Of Units	No.of Days	
	One day orientation of Staff Nurses/ANM on KMC				
1	Honorarium for State Resource Persons Pediatrician/Medical Officer of SNCU (Rs. 1000 X 1days)	1000	1	1	1000
2	Honorarium for Resource Persons Para Medical Staff of SNCU (Rs. 500 X 1days)	500	1	1	500
3	Food/ Refreshments for participants (Lunch, Morning and evening Tea and Snacks) Rs. 250 X 30	250	30	1	7500
4	Food/ Refreshments for facilitators (Rs. 250 X 2 X 1)	250	2	1	500
5	Training kit-(Plastic folder, KMC trg module, pad, pen etc.)	150	30	1	4500
6	Institutional Overheads	3000	1	1	3000
7	TA to participants (as per actual)	200	30	1	6000
	Total Fund (Amount in Rs.)				**23000**

कंगारू मदर केयर (KMC) विषय पर प्रसव केन्द्रों में कार्यरत स्टाफनर्स/ए0एन0एम0 का एक दिवसीय अभीमुखीकरण कराये जाने हेतु जनपदवार धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

One day KMC Training fund			
Sr.No.	Name of District	Fund for One day training of Staff Nurses/ANM on KMC	Total Funds Released to DHS
FMR Code--A.9.5.5.2.f			
1	Agra	23000	23000.00
2	Aligarh	23000	23000.00
3	Allahabad	23000	23000.00
4	Ambedkar Nagar	23000	23000.00
5	Amethi	23000	23000.00
6	Amroha (JP Nagar)	23000	23000.00
7	Auraiya	23000	23000.00
8	Azamgarh	23000	23000.00
9	Baghpat	23000	23000.00
10	Bahraich	23000	23000.00
11	Ballia	23000	23000.00
12	Balrampur	23000	23000.00
13	Banda	23000	23000.00
14	Barabanki	23000	23000.00
15	Bareilly	23000	23000.00
16	Basti	23000	23000.00
17	Bijnor	23000	23000.00
18	Budaun	23000	23000.00
19	Bulandshahar	23000	23000.00
20	Chandauli	23000	23000.00
21	Chitrakoot	23000	23000.00
22	Deoria	23000	23000.00
23	Etah	23000	23000.00
24	Etawah	23000	23000.00
25	Faizabad	23000	23000.00
26	Farukkhabad	23000	23000.00
27	Fatehpur	23000	23000.00
28	Firozabad	23000	23000.00
29	Gautam Buddha Nagar	23000	23000.00
30	Ghaziabad	23000	23000.00
31	Ghazipur	23000	23000.00
32	Gonda	23000	23000.00
33	Gorakhpur	23000	23000.00
34	Hamirpur	23000	23000.00
35	Hapur	23000	23000.00
36	Hardoi	23000	23000.00
37	Hathras	23000	23000.00
38	Jalaun	23000	23000.00
39	Jaunpur	23000	23000.00
40	Jhansi	23000	23000.00
41	Kannauj	23000	23000.00
42	Kanpur Dehat	23000	23000.00
43	Kanpur Nagar	23000	23000.00
44	Kasganj	23000	23000.00
45	Kaushambi	23000	23000.00
46	Kushi Nagar (Padrauna)	23000	23000.00
47	Lakhimpur Kheri	23000	23000.00
48	Lalitpur	23000	23000.00
49	Lucknow	23000	23000.00
50	Maharajganj	23000	23000.00
51	Mahoba	23000	23000.00
52	Mainpuri	23000	23000.00
53	Mathura	23000	23000.00
54	Mau	23000	23000.00
55	Meerut	23000	23000.00

One day KMC Training fund			
Sr.No.	Name of District	Fund for One day training of Staff Nurses/ANM on KMC	Total Funds Released to DHS
FMR Code--A.9.5.5.2.f			
56	Mirzapur	23000	23000.00
57	Moradabad	23000	23000.00
58	Muzaffar Nagar	23000	23000.00
59	Pilibhit	23000	23000.00
60	Pratapgarh	23000	23000.00
61	Raebareli	23000	23000.00
62	Rampur	23000	23000.00
63	Saharanpur	23000	23000.00
64	Sambhal	23000	23000.00
65	Sant Kabir Nagar	23000	23000.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	23000	23000.00
67	Shahjahanpur	23000	23000.00
68	Shamali	23000	23000.00
69	Shravasti	23000	23000.00
70	Siddharth Nagar	23000	23000.00
71	Sitapur	23000	23000.00
72	Sonbhadra	23000	23000.00
73	Sultanpur	23000	23000.00
74	Unnao	23000	23000.00
75	Varanasi	23000	23000.00
Total fund		**1725000**	**1725000.00**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करें।

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0एम0एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

10– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- कंगारू मदर केयर (KMC) के एक दिवसीय अभीमुखीकरण का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0 / नोडल अधिकारी प्रशिक्षण द्वारा किया जाये।
- कंगारू मदर केयर के एक दिवसीय अभीमुखीकरण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केन्द्र का अनुश्रवण किया जाये तथा यूनिसेफ उ0प्र0 / उ0प्र0 टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (UP-TSU) / सेव द चिल्ड्रेन / माइक्रोन्यूट्रीएन्ट इनीशिएटिव (न्यूट्रीशन इंटरनेशनल) एवं कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाये।

अभीमुखीकरण की भौतिक एवं वित्तिय रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / **KMC / 42 / 2017–18** / 9544-7541 दिनांक 12 / 11 / 2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश
4. **समस्त जिलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–आर0सी0एच0,** उत्तर प्रदेश।
6. **समस्त प्रमुख / मुख्य** चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / सुयक्त चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर एक दिवसीय अभीमुखीकरण / प्रशिक्षण पूर्ण करायें।
7. **समस्त मण्डलीय / जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. **राज्य कार्यकम प्रतिनिधि**, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल–एन0आई0 एवं सेव द चिल्ड्रेन, लखनऊ उ0प्र0।
9. **टीम लीडर, उ0प्र0** टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (UP-TSU) 505, रतन स्क्वायर टावर लखनऊ उ0प्र0।
10. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ**, बी–3 / 258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ0प्र0।
11. **निदेशक, कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट लैब**, 26 / 11 वजीर हसन रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य